न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–02/2022 अपील (रसद)

पृथ्वीराज पुत्र श्री धनराज जाति जाट निवासी रामपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः–

1. श्री रामकुमार कस्वां एडवोकेट–अपीलाण्ट।
2. श्री शिवराज सिंह बराड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।

निर्णय **दिनांकः–19.05.2022**

अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा बअनवानी प्रकरण स्टेट बनाम पृथ्वीराज में पारित आदेश दिनांक 20.12.2019 को अपास्त कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने बाबत पेश हुई।

मुताबिक अपील अपीलाण्ट के नाम से तहसील पीलीबंगा के गांव रामपुरा की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र जारी किया हुआ था। प्रार्थी ने स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कारणों से अवकाश स्वीकृत करवाया था। अपीलांट ने नियमानुसार अवकाश स्वीकृत करवाया था तब विभाग द्वारा अन्य व्यक्ति को अस्थायी रूप से राशन वितरण करने हेतु आदेश भी जारी कर दिये थे। रामपुरा उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न का समूचित रूप से वितरण हो रहा था परन्तु रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को बिना कोई विधिवत सूचना दिये अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलांट का प्रधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो निम्न आधारों पर काबिल खरिजी के है।

अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत बिना कोई जांच किये विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रभावित पक्षकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये व बिना प्रभावित पक्षकार की सहमति के पारित किया गया होने के कारण काबिल खारिजी के है।

रेस्पोडेन्ट सं. 01 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नियमों का पालन नहीं किया व बिना अपीलांट को विधिवत सूचना के अपीलाधीन आदेश के द्वारा उचित मूल्य दुकान रामपुरा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जबकि निरस्ती से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सूचना देकर कार्यवाही अमल में लायी जाती है व पहले नोटिस देकर प्राधिकार पत्र के निलम्बन की कार्यवाही की जाती है। उसके पश्चात यदि सम्बन्धित पक्ष जानबूझकर अथवा विधि के विपरीत कोई कृत्य करता है तो ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये विधि विरूद्ध रूप से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है।

रेस्पोडेन्ट ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को कभी भी विधिवत सूचना नहीं दी एवं उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र की समस्त आवश्यक शर्तों को अपीलाण्ट द्वारा पूर्ण करने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने मनमाने रूप से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया व प्राधिकार पत्र निरस्त करने के दो वर्ष तक अन्य किसी व्यक्ति को आवंटन करने की कार्यवाही नहीं की व ना ही कोई विज्ञप्ति जारी की व क्रमांक रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2022/33633 दिनांक 15.03.2022 में उचित मूल्य दुकान रामपुरा का नाम आने पर अपीलांट को जानकारी हुई तब अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट के ऑफिस में आकर अपीलाधीन आदेश के बारे में पता कर प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की व अभिभाषक से सम्पर्क कर बिना किसी देरी के आज अपील प्रस्तुत कर रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 01 विज्ञप्ति दिनांक 15.03.2022 की पालना में यदि अन्य किसी व्यक्ति को उचित मूल्य दुकान का आवंटन कर देते है तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी व अपील का मकसद ही बेसुद हो जावेगा इसलिए अपीलांट उक्त विज्ञप्ति में उचित मूल्य दुकान रामपुरा तहसील पीलीबंगा के आवंटन की प्रक्रिया को रूकवाने का अधिकारी है इस हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश 20.12.2019 निरस्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलाण्ट के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नियमों का पालन नहीं किया व बिना अपीलांट को विधिवत सूचना के अपीलाधीन आदेश के द्वारा उचित मूल्य दुकान रामपुरा का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जबकि निरस्ती से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सूचना देकर कार्यवाही अमल में लायी जाती है व प्राधिकार पत्र के निलम्बन की कार्यवाही की जाती है। उसके पश्चात यदि सम्बन्धित पक्ष जानबूझकर अथवा विधि के विपरीत कोई कृत्य करता है तो ही प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है। परन्तु रेस्पोडेन्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत बिना कोई जांच किये विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रभावित पक्षकार को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये विधि विरूद्ध रूप से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। इसलिए जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ का आदेश दिनांक 20.12.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा ऐसे उचित मूल्य दुकानदार जो पूर्व में अवकाश स्वीकृत कराने के बाद लम्बे समय से अवकाश पर चल रहे थे और कार्य नहीं कर रहे थे, उन समस्त उ. मू. दुकानदारों को कार्यालय में उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत कर उठाव एवं वितरण व्यवस्था पुनः शुरू करने हेतु दिनांक 25.11.2019, 12.12.2019 को नोटिस जारी किये गये। इसके बावजूद भी डीलर द्वारा राशन वितरण कार्य पुनः शुरू करने के लिए न तो अपना प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया और न ही कार्यालय में उपस्थित होकर किसी प्रकार की सूचना दी गई जिससे ज्ञात होता है कि डीलर द्वारा जान बूझकर वितरण कार्य अवरूद्ध किया गया है। जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल नहीं किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख अवलोकन अनुसार अपीलार्थी को नोटिस तो जारी किये गये परन्तु किसी नोटिस पर अपीलार्थी की तामिल रिपोर्ट नहीं है जिससे ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार उचित नहीं है। इसके अलावा प्रवर्तन अधिकारी, पीलीबंगा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यालय रिकॉर्ड के मुताबिक कोई विभागीय प्रकरण एवं राशन सामग्री की रिकवरी आदि नहीं होने से भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई गंभीर अनियमितता नहीं की गई। अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाता है। क्रमांक रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2022/33633 दिनांक 15.03.2022 द्वारा जारी विज्ञप्ति की प्रक्रिया में उचित मूल्य दुकान, रामपुरा तहसील पीलीबंगा का प्राधिकार पत्र किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित ना कर खाली रखा जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़